



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2014/फाल्गुन 12, 1935

No. 538]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2014/PHALGUNA 12, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2014

का.आ.630(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-meb@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारणय गोवा जो गोवा राज्य के दक्षिणी गोवा जिले में 15° 12'43.25 "उत्तर और 14° 59' 55.33.54" उत्तर अक्षांश तथा 74° 15'55.07" पूर्व और 74° 7'22.20 "पूर्व रेखांश के बीच स्थित है और 85.6 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट का आवश्यक भाग है जो जैव विविधता से भरपूर है ।

और, अभ्यारणय में वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियां जैसे भारतीय गवल, व्याघ्र, तेंदुआ, चूहा, हिरण, काला तेंदुआ, तवांगु, जंगली कुत्ते, भालू आदि निवास करते हैं;

और, इस अभ्यारण्य के वन वर्षा को व्यवधान पैदा करते हैं और भूमिगत जलदायी स्तरों में जल को संचित करने में सहायता करते हैं और नदियों और धाराओं के विरुद्ध मृदा क्षरण को कम करके उनमें गादभरण को रोकते हैं और इसमें बारहमासी या अर्द्धबारहमासी या मौसमी प्रकृति की जल धाराओं का पूरा सुव्यवस्थित नेटवर्क होता जो कोटीगांव नदी, उसके उपनदियों और विभिन्न अन्य जलाशयों जिसमें निचले क्षेत्रों में स्थित कूप भी हैं को पोषित करती हैं ;

और, यह आवश्यक है कि कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षित पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के रूप में संरक्षित और संधारित किया जाए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य में कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा की परिधि के साथ-साथ तीन किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार गोवा राज्य के अंदर कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा की परिधि के साथ-साथ तीन किलोमीटर तक समान रूप से होगा ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, उत्तर में नेगावली वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से, कोटिगो दक्षिण में कर्नाटक राज्य तक वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा, पूर्व में कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा और पश्चिम में द्वारा सीमाबद्ध है और शेष क्षेत्र पोइंगुमिम और गावडोग्रेम तालुका के ग्राम क्षेत्र से सीमाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और रेखांश के साथ **उपाबंध 1** के रूप में दिया गया है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से बाहर स्थित तीन ग्रामों की सूची अर्थात् पोइंगनिक, गावडोनग्रेम, विलियान, और कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य में पूरी तरह आने वाले और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भागतः आने वाले प्रमुख बिन्दुओं पर अक्षांश और रेखांश के साथ **उपाबंध 2** में दी गई है ।

(5) **उपाबंध 2** में दिए गए ग्रामों की सूची का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसका अतिरिक्त पुनः निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान.—(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी ।

(2) जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों, जैसे पर्यावरण, वन और वन्य जीव, कृषि, राजस्व, शहरी और आवास विकास, पर्यटन, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, खनन और लोक निर्माण विभाग, की सहभागिता से, उक्त योजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल मास्टर प्लान में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जलसंग्रहण प्रबंधन, भू जल प्रबंधन, मृदा और आद्र संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(4) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के किस्म और प्रकार कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, चालू खनन पट्टे, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यंकन करेगा ।

(5) इस पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रकार तैयार किए गए जोनल मास्टर प्लान को गोवा राज्य के क्षेत्रीय प्लान में समाकलित किया जाएगा ।

(6) जोनल मास्टर प्लान इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पैरा 4 में निर्दिष्ट कृत्यों के पालन के लिए राज्य स्तर की पारिस्थितिक संवेदी मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसई एसजेड एमसी कहा गया है) के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(7) जोनल मास्टर प्लान, पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (4) के अधीन क्रियाकलापों के विनियमन के लिए उपायों को उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(8) पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों, जो आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए हैं, का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग में संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट, वर्षा जल संचय, कुटीर उद्योग, जिसमें ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं और प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग भी हैं, से संबंधित क्रमशः मद सं0 11, सं0 24 और सं0 25 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात होगा :

परंतु यह और कि समान रूप से जनजातीय प्रथाओं से गैर-जनजातीय प्रथाओं के लिए भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा ।

(9) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी ।

(10) **प्राकृतिक जलस्रोत.**—सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(11) **पर्यटन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iv) पर्यटन क्रियाकलाप भी जोनल मास्टर प्लान का एक भाग होगा ।

(12) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसी प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(13) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्यों, क्षेत्रों और ऐतिहासिक, वास्तु-शिल्पीय, सौन्दर्य विषयक और सांस्कृतिक महत्व की प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी और उनके संधारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्लान बनाया जाएगा और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ।

(14) **ध्वनि प्रदूषण.**—पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग गोवा, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(15) **वायु प्रदूषण.**—पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग गोवा, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(16) **बहिस्त्रावों का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(17) **ठोस अपशिष्ट.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(2) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(3) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(4) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(18) **यानिक यातायात परिवहन.**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां का तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध है ; परंतु लघु और वृहत खनिज के चालू पट्टे को पांच से दस वर्ष की अवधि के भीतर क्रमिक रीति में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधधीन रहते हुए हटा दिया जाएगा ;
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी; (ख) संबंधित केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना ।	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण के कारण उद्योगों की स्थापना करना ।	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है ।
5.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में तत्काल प्रभाव से कोई नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।
6.	जलाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है ।
7.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और

	भूजल संचयन भी है ।				भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
8.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट से 2000 तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबंधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
9.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का संनिर्माण ।	-	हां	-	भूमिगत केबिलिंग को बढ़ावा देना ।
10.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	-	-	हां	
11.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
12.	होटलों तथा विश्रामालयों के विद्यमान परिसरों की बाड़ लगाना	-	हां	-	
13.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
15.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।
16.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	-	हां	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है ।
17.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है ।
18.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों जैसे	-	हां	-	

	राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि करना।				
19.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	-
23.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
24.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	-
25.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
26.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना तुरंत प्रभाव से अनुज्ञात नहीं होगी।
27.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	-	हां	-	-
28.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 11 और मद संख्या 24 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। मद संख्या 25 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा।
29.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है।
30.	भट्टे	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है।

4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए गोवा राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|--------|--|--------------|
| (i) | मुख्य सचिव, गोवा सरकार - | अध्यक्ष ; |
| (ii) | पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, बंगलौर का प्रतिनिधि - | सदस्य ; |
| (iii) | गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - | सदस्य ; |
| (iv) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का गोवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - | सदस्य ; |
| (v) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट संप्रदाय आधारित संगठन का एक प्रतिनिधि - | सदस्य ; |
| (vi) | गोवा सरकार के ग्रामीण विकास, कृषि, शहरी विकास और आवास, खनन और पत्तन तथा परिवहन विभागों के पांच प्रतिनिधि— | सदस्य ; |
| (vii) | गोवा राज्य की ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक का एक विशेषज्ञ - | सदस्य; |
| (viii) | संबद्ध जिला कलक्टर- | सदस्य ; |
| (ix) | संबद्ध वन्य जीव वार्डन- | सदस्य ; और |
| (x) | निदेशक, पर्यावरण विभाग, गोवा सरकार - | सदस्य सचिव । |

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।


(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-दर-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

5. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों या पारित किए जाने वाले, यदि कोई हों, आदेशों के अधीन होंगे ।

कोटीगांव पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र को दर्शित करने वाले अक्षांश और रेखांश ।



शीर्षक

- ईएसजेडसीमा (3 किमी की परिधि)
- संरक्षित क्षेत्र
- ग्राम सीमाएं
- पारिस्थितिक संवेदी ग्राम
- जल निकाय

वन आच्छादन (एफएसआई)

- औसत घना
- खुला
- बहुत सघन
- गैर-वन

उपबंध-2

कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिंदुओं पर उनके अक्षांशों और रेखांशों के साथ

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के आंशिकतः आने वाले ग्रामों की सूची

ग्राम आईडी	ग्राम का नाम	रेखांश	अक्षांश
1	पोइगुइनिन	74.09336	14.98153
2	गांवडाग्रेन	74.14025	15.02487
78	कोटीगांव	74.14111	14.95118

[फा. सं. 25/32/2013-ईएसजेड-आरई]

डा. जी.वी.सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2014

S.O.630(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Cotigao Wildlife Sanctuary, Goa lying between latitudes 15° 2' 43.25" N and 14° 55' 33.54" N and longitudes 74° 15' 55.07" E and 74° 7' 22.20" E in the South Goa District of Goa State and extending over an area of 85.65 square kilometres, is an essential part of the Western Ghats, which is rich in biodiversity;

And whereas, the sanctuary inhabits the endangered species of wildlife like Indian bison, tiger, panther, mouse deer, black panther, slender loris, bear, wild dog, etc;

And whereas, the forest of this Sanctuary intercepts rainfall and helps recharge ground water aquifer and protects rivers and streams against siltation by minimising soil erosion and has a well knit network of streams spreading throughout which are perennial or semi perennial or seasonal in nature, feeding Cotigao river, its tributaries and the various other water bodies including wells situated in the low lying areas;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Cotigao Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of three kilometres all along the periphery of the boundary of the Cotigao Wild Life Sanctuary in the State of Goa as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:—

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is three kilometres uniformly all along the periphery of the boundary of the Cotigao Wildlife Sanctuary within the State of Goa. (2) The Eco-sensitive Zone is bounded on the North by Netravali Wild Life Sanctuary, on the South by Karnataka State, on the East by the Cotigao Wild Life Sanctuary and on the West by remaining part of Cotigao, Poinguinim and Gaodongrem villages.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) The list of the three villages namely Poingoinim, Gaodongrem, and Cotigao situated outside the boundary of the Cotigao Wildlife Sanctuary and partially falling within the Cotigao Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points are appended to this notification as **Annexure II**.

(5) The list of villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) For the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest and Wildlife, Agriculture, Revenue, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Development, Irrigation and Flood Control, Mining and Public Works Department for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, mining leases in operation, lakes and other water bodies.

(5) The Zonal Master Plan thus prepared specific to this Eco-sensitive Zone shall be integrated into the regional plan for the State of Goa.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

(7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities under column (4) of the Table specified in para 3.

(8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas of commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers 11, 24 and 25, relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans etc. and small scale industries not causing pollution, respectively, as specified in column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007).

(9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(10) **Natural Springs.-** The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(11) **Tourism.-** The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-

- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) no new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the SESZMC;
- (iv) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.

(12) **Natural Heritage.-** The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved; the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(13) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(14) **Noise pollution.-** The Environment Department or the State Forest Department of Goa shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(15) **Air Pollution.-** The Environment Department or the State Forest Department of Goa shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(16) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(17) **Solid Wastes.-** (1) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000.

(2) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(3) The biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture.

(4) The inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(18) **Vehicular Traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely: —

TABLE

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new commercial establishment such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone with immediate effect.
6.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
7.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) the extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
8.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunnelling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited with immediate effect, except the micro hydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.

9.	Erection of electrical cables and tele-communication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
10.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
11.	Rain water harvesting.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
12.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
13.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
15.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.
16.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
17.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect
18.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by hot-air balloons, etc.	-	Yes	-	
19.	Protection of hill slopes and river banks.	-	Yes	-	
20.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
23.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
24.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
25.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
26.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone with immediate effect.

27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	-	Yes	-	
28.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone with immediate effect, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 11 and 24. In the case of activities listed at item number 25, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
29.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
30.	Brick kilns.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.


4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Goa which shall comprise of:-

- (i) Chief Secretary, Government of Goa- Chairman;
 - (ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Bangalore– Member;
 - (iii) Representative of the State Pollution Control Board- Member;
 - (iv) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Goa– Member;
 - (v) One representative of community based organization nominated by the State Government- Member;
 - (vi) Five representatives of the Government of Goa from Departments of Rural Development, Agriculture, Urban Development and Housing, Mining and Ports and Transport- Members;
 - (vii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Goa- Member;
 - (viii) Concerned District Collector- Member;
 - (ix) Concerned Wildlife Warden– Member; and
 - (x) Director, Department of Environment, Government of Goa– Member Secretary.
- (2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist it in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.




- (8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.
- 5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.

Annexure I

Map of Cotigaon Eco-sensitive Zone boundary



LEGEND

	ESZ Boundary (3 km Radial)		Moderately Dense
	Protected Areas		Open
	Village boundaries		Very Dense
	Eco-sensitive Villages		Non-forest
	Water bodies		

Annexure II

List of the villages falling within the Cotigao Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes of prominent points

List of Villages partially within the ESZ Boundary

Village ID	Village Name	Longitude	Latitude
1	Poingunin	74.09336	14.98153
2	Gaundongren	74.14025	15.02487
78	Contigao	74.14111	14.95118

[F. No. 25/32/2013-ESZ-RE]
Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'